संख्या-1046/सैंतीस-2-2015-1(3)/2014

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त (एल.एच.),
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110011

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 22 अप्रैल, 2015

विषय:- **एफ.एम.डी.-सी.पी. (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) (कम्पोनेन्ट मद) योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-14/सा0-1/एक्स-160/एफएमडी-सीपी/2014-15, दिनांक-13.04.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में एफ.एम.डी.-सी.पी. (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) (कम्पोनेन्ट मद) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कुल रू0-3.041 लाख का केन्द्रांश रिवैलिडेशन के रूप में प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रू0-2.959 लाख का उपयोग किया गया तथा रू0-0.082 लाख अवशेष रहा। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत रू0-78.00 लाख की बजट व्यवस्था है। अतः गत वित्तीय वर्ष में अवशेष केन्द्रांश रू0-0.082 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पुनर्वैधीकृत करने के साथ ही साथ वर्ष 2015-16 के लिए रू0-77.918 लाख का अतिरिक्त केन्द्रांश अवमुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-1046(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु वांछित प्रयास तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।